राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या : 1803/2015..... जिला : .जयपुर.....
मैसर्स एस.एस.मार्केटिंगक, जयपुर बनाम सहायक आयुक्त,प्रतिकरापवंचन,वाणिज्यिक कर,जोन– प्रथम, जयपुर व अपीलीय प्राधिकारी–द्वितीय,वाणिज्यिक कर, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खण्डपीठ **श्री सुनील शर्मा,सदस्य** **श्री मोहन लाल नेहरा,सदस्य**	
26.11.2015	अपीलार्थी की ओर से श्री एस.के.जैन एव विभाग की ओर से उप राजकीय अभिभाषक श्री एन.के.बैद उपस्थित। अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से यह अपील अपीलीय प्राधिकारी–द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी"कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.11.2015, जो कि राजस्थान मूल्य परवर्धित कर अधिनियम, 2003(जिसे आगे 'मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 38(4) के अन्तर्गत पारित किया गया है, के विरूद्ध अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन,वाणिज्यिक कर,जोन– प्रथम, जयपुर (जिसे आगे 'निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा)द्वारा अधिनियम की धारा 25, 55, 61 एवं 75(8) के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 के लिए पारित कर निर्धारण आदेश शास्ति दिनांक 07.09.2015 में विवादित मांग राशि रू. 30,07,403/– पर अपीलीय अधिकारी द्वारा रोक लगाने से इंकार करने के आदेश को चुनौती देते हुए रू. 30,07,403/– की वसूली को स्थगित किये जाने का निवेदन किया है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 21.01.2015 को व्यवहारी के व्यवसाय स्थल पर पाये गये रिकार्ड का सत्यापन नहीं करवा पाने के कारण नोटिस जारी किया गया। जारी नोटिस की पालना में प्रस्तुत उत्तर को अमान्य करते हुए जांच पर एस्टीमेटेड दस्तावेजों में वर्णित विक्रय एवं स्टॉक में अन्तर पाये जाने के कारण कर, ब्याज, अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत शास्ति व अधिनियम की धारा 78(5) के अन्तर्गत शास्ति कुल रू. 31,08,614/–मांग सृजित की गई। उक्त सृजित मांग के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रू. 30,07,403/–पर स्थगन चाहा गया,जिसे अपीलीय अधिकारी द्वारा अस्वीकार किये जाने के कारण कर बोंर्ड के समक्ष अपील समय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रू. 30,07,403/–को स्थगित किये जाने का निवेदन किया गया है। स्थगन प्रार्थना पत्र के समर्थन में अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 07.09. 2015 अविधिक, मिथ्या एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलाधीन आदेश में कोई कारण अंकित किये बिना ही स्थगन प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया है, जिससे प्रकरण व सुविधा सन्तुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होना प्रकट करते हुए रू. 30,07,403/–की वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी तथा अन्यथा स्थिति में अपीलार्थी व्यवहारी को अपूरणीय क्षति होने का तर्क भी दिया गया।	

विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि वक्त सर्वेक्षण व्यवसाय स्थल पर पाये गये रिकार्ड का सत्यापन नही होने के कारण तथा ऑडिट अपीलार्थी व्यवहारी की नियमित लेखा पुस्तकों से किये जाने पर स्टॉक कम/ज्यादा पाया गया है एवं अभिग्रहीत दस्तोवजों की प्रविष्टियों का इन्द्राज नियमित पुस्तकों में नहीं पाये जाने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर,ब्याज एवं शास्तियों का आरोपण किया गया है,जो पूर्णतः उचित है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रकरण व सुविधा सन्तुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया तथा वसूली पर रोक सम्बन्धी प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

उभय पक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों एवं उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। हस्तग्रत प्रकरण में वक्त सर्वेक्षण व्यवसाय स्थल पर पाये गये रिकार्ड का सत्यापन नही होने के कारण तथा ऑडिट अपीलार्थी व्यवहारी की नियमित लेखा पुस्तकों से किये जाने पर स्टॉक कम/ज्यादा पाया गया है एवं अभिग्रहीत दस्तोवजों की प्रविष्टियों का इन्द्राज नियमित पुस्तकों में नहीं पाये जाने का बिन्दु विवादित है । अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों पर विचार करने के पश्चात अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा स्थगन हेतु प्रस्तुत किये गये स्थगन प्रार्थना पत्र में स्थगन हेतु आवेदित राशि रू. 30,07,403/–में से कर रू. 10,12,105/–पर स्थगन प्रदान नहीं करते हुए शेष रू. 19,95,298/– की वसूली को, अपील के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना, कर निर्धारण अधिकारी के सन्तोष के अनुरूप समुचित जमानत **(Adequate Security)** प्रस्तुत करने की शर्त पर तीन माह तक स्थगित रखा जाता है। उक्त आदेश की पालना के अभाव में, रोक आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी समझा जावेगा, साथ ही अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि वह इस आदेश प्राप्ति के तीन माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

निर्णय सुनाया गया

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य

(सुनील शर्मा)
सदस्य